न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 79/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
रजिस्टर्ड पता पहली मंजिल एडलवाइज हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कालीना, मुम्बई जरिये प्रधिकृत अधिकारी हीरालाल सैनी

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **इमरान खान पुत्र मुमताज खान,**
   पता–(1) मैसर्स मुमताज कृषि यंत्र एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, वार्ड नम्बर–4, वी.पी.औ. कासली सीकर
   पता–(2) वार्ड नम्बर–4 वी.पी.औ. कासली सीकर
2. **मोबीन बानो पत्नी इमरान खान,** पता–मदीना कॉलोनी, नूरानी मस्जिद के पास, वार्ड नम्बर–5, कासली, सीकर
3. **मैसर्स मुमताज कृषि यंत्र एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज,** वार्ड नम्बर–4 वी.पी.औ. कासली सीकर

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

निर्णय

दिनांकः 23 दिसम्बर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दिनेश कुमार सैनी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **इमरान खान पुत्र मुमताज खान, मोबीन बानो पत्नी इमरान खान** एवं **मैसर्स मुमताज कृषि यंत्र एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **इमरान खान** के स्वामित्व की **आवासीय सम्पति पट्टा संख्या 52, मिसल संख्या 26, ग्राम कासली, तहसील धोद, जिला सीकर, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 299.37 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में याकूब खान की सम्पत्ति, पश्चिम दिशा में स्वयं की जमीन, उत्तर दिशा में दीगर सम्पत्ति एवं दक्षिण दिशा में हसन खान की सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **रूपये 19,50,000/– (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख पचास हजार)** एवं **रूपये 3,04,000/– (रूपये तीन लाख चार हजार) कुल राशि रूपये 22,54,000/– रूपये (अक्षरे रूपये बाइस लाख चौवन हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **03.04.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री अनिल कुमार शर्मा उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण भुगतान सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **03.04.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **इमरान खान पुत्र मुमताज खान, मोबीन बानो पत्नी इमरान खान** एवं **मैसर्स मुमताज कृषि यंत्र एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **इमरान खान** के स्वामित्व की **आवासीय सम्पति पट्टा संख्या 52, मिसल संख्या 26, ग्राम कासली, तहसील धोद, जिला सीकर, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 299.37 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में याकूब खान की सम्पत्ति, पश्चिम दिशा में स्वयं की जमीन, उत्तर दिशा में दीगर सम्पत्ति एवं दक्षिण दिशा में हसन खान की सम्पत्ति है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **23 दिसम्बर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर